जेईई सेशन 2 के रिजल्ट से मिली परीक्षार्थियों को खुशियां

सुभाष एक्सीलेंस के बच्चों ने लहराया परचम

शहर के इन सितारों ने हासिल की सफलता

मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूं. पढ़ाई का रूटीन सेट कर रखा था उसी के अनुसार पढ़ता हूं. फिलहाल आगे एडवांस पर फोकस है, उसके बाद जैसा भी रिजल्ट होगा उसके आधार पर सीएस या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे शुरुवात से ही इस फील्ड में रुचि रही है.
अनुज सिंह, रैंक - 1193

रोज का टारगेट सेट करता था और उसी को पूरा करता था. फिलहाल मेरा फोकस जेईई एडवांस के एग्जाम पर है. इसके लिए तैयारी कर रहा हूं. रोज मॉक टेस्ट देना, डेली का टारगेट पूरा करना और स्ट्रेस फ्री रहकर पढ़ने की कोशिश करता हूं. आगे कंप्यूटर साइंस से आईआईटी करना चाहता हूं.
तनिष्क सिंघल, रैंक-1284

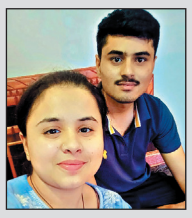

ज्ञानेन्द्र सिंह का पूरा फोकस शुरू से ही पढ़ाई पर रहा है. फिलहाल वो दक्षना वैली पुणे में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है. वह मोबाइल फोन का बहुत सीमित उपयोग करता है. महीने में दो से चार बार ही फोन पर परिजनों से बात हो पाती है.
ज्ञानेन्द्र सिंह, 99.33 पर्सेंटाइल

रिषभ साहू भी पुणे में है, वो वहीं रहकर पढ़ाई करता है. उनके पास भी मोबाइल फोन नहीं है. अब वो जेईई एडवांस की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है. रिषभ ने खुद ही पुणे जाने का और फोन से दूरी बनाकर पढ़ाई करने का निश्चय किया है.
रिषभ साहू, 99.37 पर्सेंटाइल

- जेईई की तैयारी में विद्यार्थियों ने फोन से बनाई दूरी
- महीने में 2 से 4 बार कर रहे फोन का उपयोग

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 21 अप्रैल. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र का परिणाम जारी कर दिया है. बता दें इस बार कुल 10 लाख 34 हजार 330 से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 11 लाख से ज्यादा ने पंजीकरण कराया था.

टॉपर्स राज्यों की सूची में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश सबसे ऊपर हैं. साथ ही 100 पर्सेंटाइल प्राप्त करने की सूची में कुल 26 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है. हालांकि मध्यप्रदेश शीर्ष स्कोर करने वाले राज्यों में पीछे है. लेकिन इस बार भी भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल और आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों ने 99 पर्सेंटाइल के साथ जिले की वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है. वहीं इंजीनियरिंग प्रवेश के इस बड़े इम्तिहान को जीतने इस बार भोपाल के विद्यार्थियों ने मोबाइल से दूरी बनाकर जेईई एडवांस के लिये तैयारी में जुट गये हैं.

बारातियों को मीठा खाना पड़ा भारी, 150 लोग बीमार

धार. जिले की बदनावर तहसील के ग्राम बखतपुरा में शादी समारोह के दौरान दूषित मिठाई खाने से 150 से अधिक लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. रतलाम जिले से आई बारात में मेहमानों ने कलाकंद और आलू बड़े का नाश्ता किया था. इसके करीब डेढ़ घंटे बाद ही बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने लगी. जानकारी के अनुसार ग्राम बखतपुरा निवासी राधेश्याम पटेल के परिवार में शादी थी. नाश्ते के बाद मेहमानों को बेचैनी और उल्टी की शिकायत होने पर उन्हें गांव के साथ ही भैंसोला, धारसीखेड़ा, संदला, तिलगारा सहित आसपास के अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में भर्ती कराया गया.

मध्यप्रदेश में उमस भरी गर्मी से राहत नहीं

खजुराहो में 43 डिग्री तापमान दर्ज

भोपाल, 21 अप्रैल. मध्यप्रदेश में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. हालात यह हैं कि दिन के साथ-साथ अब रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही. प्रदेश के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है.

सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा नजर आने लगा है और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग सावधानी बरत रहे हैं, खासकर महिलाएं और युवतियां चेहरे को कपड़े से ढंककर बाहर निकल रही हैं. मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में पहली बार 'वॉर्म नाइट' का अलर्ट जारी किया है. भोपाल समेत सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में रात का तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री अधिक हो और दिन का तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर रहे, तो उसे वॉर्म नाइट कहा जाता है.

> प्रदेश के सबसे गर्म शहरों की बात करें तो खजुराहो में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि दतिया, रतलाम, सीधी, रीवा और श्योपुर जैसे शहरों में भी पारा 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है. ग्वालियर में 42.5 डिग्री, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी तापमान 39 डिग्री के करीब दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार हैं. अप्रैल और मई को गर्मी का पीक सीजन माना जाता है, और इस बार भी यही स्थिति बनती नजर आ रही है.

मैनिट में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 20 मई तक मौका

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 21 अप्रैल. भोपाल के प्रतिष्ठित संस्थान मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान -मैनिट- में शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. संस्थान ने पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए हैं.

इच्छुक अभ्यर्थी 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. संस्थान द्वारा जारी सूचना के अनुसार पूर्णकालिक श्रेणी में संस्थान फेलोशिप के साथ लगभग 200 सीटें उपलब्ध हैं. वहीं यूजीसी नेट या सीएसआईआर जेआरएफ के साथ प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए सीटों की कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई है. स्ववित्तपोषित और प्रायोजित श्रेणियों में भी सीमित सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. अंशकालिक पीएचडी में कार्यरत पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियां रखी गई हैं जिनमें सीटों की कोई तय सीमा नहीं है. जबकि प्रोजेक्ट आधारित उम्मीदवारों को फेलोशिप के साथ शोध का अवसर मिलेगा. संस्थान प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी है. अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

सरकार के प्रयास को किया बाधित : प्रहलाद

भोपाल, 21 अप्रैल. मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में केंद्र सरकार के रचनात्मक प्रयास को जिस प्रकार बाधित किया गया, उससे पूरे देश में उभरती नारी शक्ति में स्वाभाविक नाराजगी देखी जा रही है. श्री पटेल ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से चर्चा में कहा कि यह केवल महिलाओं के सम्मान का विषय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने का गंभीर मामला भी है.

> विधानसभा के विशेष सत्र को जिस उद्देश्य से बुलाया गया था, उसे बाधित करना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है. जिला पंचायतों की आगामी सामान्य सभा में भी यह प्रयास रहेगा कि राज्य में पहले से लागू 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के संदर्भ में मातृशक्ति अपनी भावनाएं और अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. नारी सशक्तिकरण आज देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय विषय बन चुका है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कार्यवाही को इस प्रकार बाधित करना भारतीय राजनीति में एक अपवाद जैसा है, जो अत्यंत चिंताजनक है. प्रतिपक्ष के दल चाहे कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने देने के लिए समान रूप से जिम्मेदार प्रतीत होते हैं.

इस प्रकार की बाधाओं से राष्ट्र के विकास की गति प्रभावित होती है, जो कभी भी देशहित में नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में भी अवरोध उत्पन्न कर लोकतांत्रिक मूल्यों को आहत किया गया है. देश की नारी शक्ति इस तरह की स्थिति को लेकर सजग है.

हत्या के षड्यंत्र का 8 घंटे के भीतर पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

अमिलिया पुलिस ने की दबिश कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सीधी, 21 अप्रैल. अमिलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुये हत्या के षड्यंत्र का 8 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द श्रीवास्तव व एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के मार्गदर्शन में थाना अमिलिया पुलिस ने हत्या के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार थाना अमिलिया में फरियादी रोहित पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 3:30 बजे डिहुली मोड़ पेट्रोल पंप के पास आरोपी विवेक मिश्रा ने पुरानी रंजिश और गाड़ी की किश्त के विवाद को लेकर हत्या करने की नियत से संतोष द्विवेदी की मोटरसाइकिल को अपने मिनी टिपर वाहन क्रमांक एमपी 53 जेडजी 4331 से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल को करीब 105 फीट तक घसीटा गया। इस घटना में संतोष द्विवेदी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि उनके साथ सवार ठाकुर सेन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रीवा रेफर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राकेश बैस के नेतृत्व में तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर कड़ी घेराबंदी की और घटना के 8 घंटे के भीतर फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विवेक मिश्रा पिता राजेश्वर प्रसाद मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ी तथा विकास मिश्रा पिता राजेश्वर प्रसाद मिश्रा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ी शामिल है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मिनी टिपर वाहन और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 109, 103(1), 61(2) बीएनएस 2023 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस त्वरित सफलता में निरीक्षक राकेश कुमार बैस थाना प्रभारी अमिलिया, उनि राजमणि अहिरवार, प्रआर लोकेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, आरक्षक रघुराज सिंह, संदीप चौबे और दीपेन्द्र सिंह की विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सीएम हेल्पलाइन में सिंगरौली पुलिस का दमदार प्रदर्शन

प्रदेश में द्वितीय स्थान, ए ग्रेडिंग हासिल

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 अप्रैल। पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में द्वितीय स्थान हासिल किया है।20 अप्रैल को जारी जिलेवार ग्रेडिंग में जिले को 88.83 प्रतिशत वेटेज स्कोर के साथ ए ग्रेडिंग प्राप्त हुई।

यह उपलब्धि पुलिस की सक्रिय कार्यशैली और शिकायतों के त्वरित समाधान का परिणाम मानी जा रही है। माह मार्च के दौरान कुल 1271 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1132 शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया गया। पुलिस टीम द्वारा प्रत्येक शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी समस्याओं को समझा गया और समयबद्ध तरीके से समाधान किया गया। इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और संतुष्टि का स्तर बढ़ा है। शिकायतों में जमीनी विवाद, मारपीट, पारिवारिक विवाद, आपसी लेनदेन और महिला संबंधी मामलों की संख्या अधिक रही। अधिकांश मामलों का समाधान लेवल-1 पर ही कर लिया गया, जबकि शेष शिकायतों को लेवल-2 और लेवल-3 पर निराकृत किया गया। थाना और चौकी स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। कई इकाइयों ने 85 प्रतिशत से अधिक वेटेज स्कोर हासिल किया।

गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्यों को करें पूर्ण : गौरव

निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं के प्रगति की कलेक्टर ने की समीक्षा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 अप्रैल। जिले में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर गौरव बैनल के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

कलेक्टर ने सम्बंधित परियोजना के कार्यपालन यंत्री से गोंड सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, रिंहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना सहित ढोंगा जलाशय, बेलदार जलाशय में चल रहे निर्माण कार्यों के प्रगति की जानकारी लेने के पश्चात निर्देशित किया कि कार्य में प्रगति लाई जाए। कलेक्टर ने कहा की पाइपलाइन के बिछवा कार्य की प्रगति कम है।कम प्रगति देने वाले संविदाकारों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा पाइपलाइन के बिछवा के कार्य में प्रगति लाई जाए।

कलेक्टर ने एक-एक परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तार जानकारी ली तथा सम्बंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण करें तथा समय सीमा के बैठक में भी चल रहे प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी दिया जाए। वहीं इस आशय के भी निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं में भू-अर्जन, फॉरेस्ट क्लियरेंस एवं एनवायरनमेंट क्लियरेंस संबंधित आवयश्कता उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कर अवगत कराए। बैठक के दौरान जल संसाधन के कार्यपालन यंत्री एसएम तिवारी सहित सहायक यंत्री आदि मौजूद रहे।

बढ़ते अपराधों पर व्यापारियों ने घेरा थाना

जबलपुर. महिला संबंधित अपराधों के बढने और दुष्कर्म पीड़िता की पहचान को उजागर करने वालों पर कार्रवाई को लेकर कांचघर चुंगी चौकी व्यापारी संघ ने मार्चा खोल दिया. आक्रोशित व्यापारियों ने थाने का घेराव किया. घमापुर क्षेत्र में बढ़ते महिला अपराधों के चलते क्षेत्र की महिलाएं एवं बालिकाएं असुरक्षित एवं भयभीत महसूस कर रही है. दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने एवं उसका चरित्र हनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जाएं. सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर पीड़िता से संबंधित भ्रामक एवं अवैध सामग्री के प्रसार को तत्काल रोका जाए एवं उसे हटवाया जाएं. अपराधियों को संरक्षण देने वाल तत्वों और दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो. पीड़िता एवं संबंधित परिवारों को आवश्यक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाएं. क्षेत्र में नियमित गश्त एवं पुलिस निगरानी बढ़ाकर भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाएं.

शादी का झांसा देकर अगवा करने वाला आरोपी गिरफ्तार

- नाबालिग दस्तयाब

नवभारत न्यूज

सीधी, 21 अप्रैल. पुलिस मुख्यालय द्वारा गुमशुदा बालक-बालिकाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान मुस्कान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में जमो?ी पुलिस ने शादी और सुनहरे भविष्य का झांसा देकर अगवा की गई नाबालिग किशोरी को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार माह अप्रैल के दूसरे सप्ताह में थाना जमो?ी क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने किशोरी को अच्छे जीवन, शादी और सुख-सुविधाओं का प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया और उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। आरोपी किशोरी को लेकर राज्य की सीमाएं लांघते हुए महाराष्ट्र भाग गया था।

कल्याण (महाराष्ट्र) में दबिश और रेस्क्यू

विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम को लोकेशन कल्याण (महाराष्ट्र) में मिली। थाना प्रभारी जमो?ी उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित टीम ने तत्काल महाराष्ट्र के लिए कूच किया। टीम ने स्थानीय पुलिस के समन्वय से कल्याण में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और आरोपी के चंगुल से नाबालिग किशोरी को सुरक्षित दस्तयाब किया। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर सीधी लाया गया, जहां उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

पुलिस टीम की विशेष भूमिका

1400 किलोमीटर दूर जाकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, उनि वर्षा यादव, महिला प्रधान आरक्षक कुसुम, आरक्षक नीरज एवं आरक्षक अभिषेक की विशेष एवं सक्रिय भूमिका रही।

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रनपति (RANPATI) है। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में त्रुटिवश नाम बबोल कुम्हार (BABOL KUMHAR) दर्ज हो गया है। जबकि मेरे आधार कार्ड एवं समस्त दस्तावेज में मेरा सही नाम रनपति (RANPATI) है।अत: भविष्य में मुझे रनपति (RANPATI) के नाम से ही जाना, माना एवं पढ़ा जाए। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

भवदीय
रनपति (RANPATI) पिता -जगदेव (JAGDEV) ग्राम -कठार पोस्ट करौंदिया बिहार टोला रामपुर नैकिन, जिला -सीधी (म.प्र.) 486775

कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला-सतना
cmouchehara@mpurban.gov.in ULBCode: 802175
क्र/न.प./स्व. सर्वे/2025-26/ उचेहरा दिनांक /04/2026

सूचना

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित पत्र क्र. एफ 5-2-2015-15-5 भोपाल दिनांक 24 मई 2017 द्वारा मध्य प्रदेश जैव अनाध्य (नियंत्रण) अधिनियम 2004 की धारा 2004 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा लोकहित में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन विक्रय और उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है अत: प्लास्टिक प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत नगर परिषद् सीमा में 75 माइकोन से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है सूचना जारी होने के पश्चात् कोई भी ब्यक्ति प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन विक्रय एवं उपयोग में संलग्न पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध म.प्र. जैव अनाष्य अवशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 के अधिनियम 9 के तहत जुर्माना एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कृपया पॉलीथीन का उपयोग पूर्णत: बंद कर स्वच्छता ही सेवा में सहयोग प्रदान करें सूचित हो।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद उचेहरा,जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला-सतना
क्र/न.प./स्व. सर्वे/2025-26/ उचेहरा दिनांक /04/2026

सार्वजनिक-सूचना

गैर-बायोडिग्रेडेबल 120 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग / प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री और भंडारण आदि पर प्रतिबंध के संबंध में

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संसोधन) नियम-2022 प्रभावशील किया गया है। अत: संपूर्ण निकाय सीमा क्षेत्र में इस सूचना प्रसारण के उपरांत यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार/संस्थान आदि गैर-बायोडिग्रेडेबल 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग एवं अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्कीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी आदि का उपयोग, भंडारण, परिवहन, विक्रय, उत्पादन आदि करता पाये जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध स्पाट फाईन / जुर्माना एवं जप्ति के साथ ही अन्य आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। सूचना जानिये........

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद उचेहरा,जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला-सतना
आज़ादी का अमृत महोत्सव | स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर
cmouchehara@mpurban.gov.in ULBCode: 802175

अधिसूचना

राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय में उच्च स्तरीय नागरिक हितेषी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त नगर पालिका निगम, नगर पलिका परिषद् एवं पंचायत में स्थित सार्वजनिक एवं सामुदयिक शौचालयों के लिये निम्नानुसार सर्विस लेवल बेंचमार्क निर्धारित किये गये है-

क्र.	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य
1.	शौचालय खुलने का समय	24 घंटे
2.	जल की उपलब्धता	24 घंटे
3.	शौचालय में प्रकाष एवं हवादानी	प्रत्येक सीट में प्राकृतिक एवं एलईडी लाईट से प्रकाश एवं हावादानी
4.	सेप्टी टैंक / सिवरेज व्यवस्था	समस्त सीट हेतु
5.	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घंटे
6.	शौचालय की ऑनलाईन मैप में खोजने हेतु गूगल या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था	समस्त शौचालय
7.	दिव्यांग हितेषी सीट / बच्चों के सीट की उपलब्धता	प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम सीट
8.	सीट, बेसिन, फर्ष, दवार, दरवाजा, आईना आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 04 बार
9.	साबुन, फिनाईल, डस्टबीन, मीपिंग, सफाई कर्मी सुरक्षा पहनावे (जैसे-ग्लब्स, जूता, एप्रेन आदि) झाडु आदि की व्यवस्था	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता
10	सेनेटरी नेपकीन, एयर फ्रेषनर, हेंड ड्रायर	शहर में स्थित कुल 25 शौचालयों में

उपरोक्त प्रावधान, संदर्भित आदेश दिनांक से प्रदेश के समस्त नगर पालिका निगम, नगर पलिका परिषद् एवं पंचायत क्षेत्रो में प्रभावशील हैं एवं स्वच्छता ऐप तथा नकाय कार्यालय में अपनी षिकायत दर्ज करा सकेंगें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद उचेहरा,जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला-सतना
cmouchehara@mpurban.gov.in ULBCode: 802175
क्र/न.प./स्व. सर्वे/2025-26/ उचेहरा दिनांक /04/2026

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकाय सीमा क्षेत्र में खुले में किसी प्रकार की गंदगी फैलाने पर अस्थाई सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है। इस सूचना के प्रसारण के बाद अगर कोई नागरिक खुले एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाता है, तो उसके विरूद्ध निम्नानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

क्र.	अर्थदण्ड की श्रेणी	अस्थाई सेवा शुल्क की राशि	अधिकता अधिकारी
1	खुले में शौच करने पर	30 रू.	स्वच्छता निरीक्षक / स्वच्छता पर्यवेक्षक / अन्य कर्मचारी
2	खुले में पेशाब करने पर	25रू.	स्वच्छता निरीक्षक / स्वच्छता पर्यवेक्षक / अन्य कर्मचारी
3	खुले में मल अपशिष्ट फेंकने पर	1000रू.	स्वच्छता निरीक्षक / स्वच्छता पर्यवेक्षक / अन्य कर्मचारी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद उचेहरा,जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला-सतना
email-cmouchehara@mpurban.gov.in
क्र /न.प./स्व. सर्वे/2025-26/ उचेहरा दिनांक /04/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर में स्थित समस्त 15 वार्डों में निर्माण एवं विध्वंश के उपरान्त निकलने वाले मलबे को संबंधित व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों / खुले में फेकने या गंदगी करने की स्थिति में संबंधित ब्यक्ति को रू. 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा और इस संबंध में उक्त अपशिष्ट के संग्रहण एवं संधारण हेतु नगर में स्थित नियत स्थान वार्ड नं. 3 उचेहरा नागौद बाई पास ट्रंचिग ग्राउण्ड रोड़ में भिजवाये जाने हेतु निकाय में वाहन उपलब्ध है। जिस हेतु निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क रू. 500/-रू. प्रति फेरे के मान से संबंधित ब्यक्ति से राशि वसूल की जावेगी।

निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट के निपटान हेतु स्वास्थ्य कंट्रोल रूम दूरभाष क्रमांक 7000884026 पर संपर्क कर सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा।

नोट:- जारी सूचना प्रकाशन दिनांक से यदि को ब्यक्ति खुले या सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण एवं विध्वंश फेकने या खाली करने की स्थिति में पाया गया, तो संबंधित ब्यक्ति के विरूद्ध नगर परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद उचेहरा,जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला-सतना
Email-cmouchehara@mpurban.gov.in
क्र /न.प./स्व. सर्वे/2025-26/ उचेहरा दिनांक /04/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर में स्थित समस्त 15 वार्डों में निर्माण एवं विध्वंश के उपरान्त निकलने वाले मलबे को संबंधित व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों / खुले में फेकने या गंदगी करने की स्थिति में संबंधित ब्यक्ति को रू. 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा और इस संबंध में उक्त अपशिष्ट के संग्रहण एवं संधारण हेतु नगर में स्थित नियत स्थान वार्ड नं. 3 उचेहरा नागौद बाई पास ट्रंचिग ग्राउण्ड रोड़ में भिजवाये जाने हेतु निकाय में वाहन उपलब्ध है। जिस हेतु निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क रू. 500/-रू. प्रति फेरे के मान से संबंधित ब्यक्ति से राशि वसूल की जावेगी।

निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट के निपटान हेतु स्वास्थ्य कंट्रोल रूम दूरभाष क्रमांक 7000884026 पर संपर्क कर सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा।

नोट:- जारी सूचना प्रकाशन दिनांक से यदि को ब्यक्ति खुले या सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण एवं विध्वंश फेकने या खाली करने की स्थिति में पाया गया, तो संबंधित ब्यक्ति के विरूद्ध नगर परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद उचेहरा,जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद उचेहरा जिला-सतना
(email-cmouchehara@mpurban.gov.in)
क्र /न.प./स्व. सर्वे/2025-26/ उचेहरा दिनांक /04/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् उचेहरा क्षेत्रान्तर्गत समस्त रहवासियों द्वारा खुले एवं सार्वजनिक स्थलों पर मल अपशिष्ट फेंकने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। संबंधित व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर डालकर गंदगी फैलयी जाती है। तो ऐसी स्थिती में संबंधित व्यक्ति 1000 रू. को अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा क्षेत्र में स्थापित समस्त घरों के सेप्टिक टैंकों के मल अपशिष्ट को निकाय द्वारा प्रदाय की जा रही मड मशीन द्वारा संग्रहित किया जाता है जिस हेतु प्रति टैंकर 3500/- रूपये की राशि निश्चित की गई है।

उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु कोई भी नागरिक निकाय में आवेदन देकर अथवा निकाय के स्वच्छता प्रभारी श्री विमलेन्द्र कुमार वर्मा मो.नं. 7000884026 में सम्पर्क कर सकता है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद उचेहरा,जिला सतना (म.प्र.)